

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पीबीएच

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

उनवान

लालचन्द

बनाम रावख्यान-सरकार

दावा बाबत नाम दुरुस्ती vs/ ११ RTA

मुकदमा नम्बर :- 142/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-12-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वयं द्वारा किया जाकर कृषि भूमि रोही गणम पीबीएच की जमाबन्दी खाता सं. 340 में अंकित लालचन्द पुत्र भास्वदास के स्वाम्य पर लालचन्द पुत्र गणपदास दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु अनुरागुवार चयन अभिलेख में अग्रत दरमद करें। अग्रत में नाम दुरुस्ती संबंधी विवाद होने की स्थिति में खर्च प्रतिवादी वादी की ही रहेगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रूपया शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस रूपया
जोड़	जोड़



ना 2540
03-12-2021